भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 431
(05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

431. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत लंबित मजदूरी के मामले सामने आए हैं;
(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों को संवितरित की जाने वाली लंबित धनराशि का राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु का ब्यौरा क्या है;
(ग) मनरेगा के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है , उनका विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) मनरेगा के अंतर्गत जारी किए जॉब कार्डों तथा सक्रिय जॉब कार्डों के पृथक-पृथक वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े तथा संख्या कितनी है;
(ङ) वर्ष 2019 से अब तक मनरेगा के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है; और
(च) क्या सरकार की किसी परिवार में नि:शक्तजनों को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां

जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 29.11.2023 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत वेतन घटक के लिए तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देनदारियों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत , निधियां राज्य को जारी की जाती है , न कि जिले को जारी की जाती है। दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार , तमिलनाडु राज्य के संबंध में मजदूरी भुगतान की कुल लंबित देनदारियां 261.86 करोड़ रुपए है।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इस योजना की शुरुआत से जारी किए गए जॉब कार्ड और दिनांक 29.11.23 तक सक्रिय जॉब कार्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार इस योजना है। योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का कोई आवंटन नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 (28.11.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च): जी नहीं।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी घटक के लिए लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी देयता (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	11056.29
2	अरुणाचल प्रदेश	1848.27
3	असम	9324.32
4	बिहार	6495.58
5	छत्तीसगढ़	5954.57
6	गोवा	22.65
7	गुजरात	66.94
8	हरियाणा	1759.06
9	हिमाचल प्रदेश	2992.21
10	जम्मू और कश्मीर	8243.87
11	झारखंड	508.44
12	कर्नाटक	17789.54
13	केरल	5194.67
14	मध्य प्रदेश	5390.17
15	महाराष्ट्र	9402.22
16	मणिपुर	0.00
17	मेघालय	399.25
18	मिजोरम	2784.32
19	नागालैंड	1080.42
20	ओडिशा	6493.54
21	पंजाब	332.72
22	राजस्थान	35883.86
23	सिक्किम	58.24
24	तमिलनाडु	26185.91

25	तेलंगाना	1098.64
26	त्रिपुरा	1770.82
27	उत्तर प्रदेश	35446.96
28	उत्तराखंड	3557.55
29	अंडमान और निकोबार	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00
31	पुदुचेरी	202.14
32	लद्दाख	716.54
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत से जारी किए गए जॉबकार्ड और दिनांक 29.11.23 की स्थिति के अनुसार सक्रिय जॉबकार्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**दिनांक 29.11.23 की स्थिति के अनुसार इस योजना की शुरुआत से जारी किए गए जॉबकार्ड (लाख में)**	**29.11.23 की स्थिति के अनुसार सक्रिय जॉबकार्ड (लाख में)**
1	अण्डमान और निकोबार	0.34	0.11
2	आंध्र प्रदेश	68.53	56.95
3	अरुणाचल प्रदेश	3.16	2.99
4	असम	63.27	42.14
5	बिहार	159.23	85.2
6	छत्तीसगढ़	37.96	32.83
7	दादरा नगन हवेली और दमन दीव	0.04	0.01

8	गोवा	0.36	0.07
9	गुजरात	43.48	18.23
10	हरियाणा	13.04	6.56
11	हिमाचल प्रदेश	14.49	9.39
12	जम्मू और कश्मीर	13.42	10.48
13	झारखंड	56.94	34.78
14	कर्नाटक	78.31	45.37
15	केरल	40.62	21.24
16	लद्दाख	0.38	0.36
17	लक्षद्वीप	0.08	0
18	मध्य प्रदेश	81.87	64.86
19	महाराष्ट्र	111.61	37.35
20	मणिपुर	6.07	5.86
21	मेघालय	6.57	6.06
22	मिजोरम	2.18	2.17
23	नागालैंड	4.66	4.5
24	ओडिशा	58.49	48.23
25	पुदुचेरी	0.74	0.6
26	पंजाब	17.97	12.03
27	राजस्थान	112.48	89.02
28	सिक्किम	0.87	0.75
29	तमिलनाडु	91.07	76.43
30	तेलंगाना	52.81	35.27
31	त्रिपुरा	6.72	6.45
32	उत्तर प्रदेश	156.89	119.5
33	उत्तराखंड	10.39	7.93
34	पश्चिम बंगाल	136.66	92.58

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- III

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (28.11.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **(लाख रुपये में)**

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	720472.46	1030509.79	718267.16	798909.30	644710.59
2	अरुणाचल प्रदेश	21020.01	34027.69	45374.43	57757.99	28301.37
3	असम	168752.49	260233.46	222026.01	205234.84	158598.87
4	बिहार	325093.78	728423.57	540736.96	639528.76	425273.52
5	छत्तीसगढ़	264031.92	394347.98	389433.98	338355.40	174708.93
6	गोवा	216.76	356.91	3.81	511.53	34.55
7	गुजरात	74758.23	147812.01	161524.32	169207.36	131982.29
8	हरियाणा	33812.58	76355.62	72267.99	37398.62	33605.19
9	हिमाचल प्रदेश	59748.12	94833.37	97575.08	115747.62	60568.47
10	जम्मू और कश्मीर	118370.31	115231.99	95013.74	105061.12	49761.18
11	झारखंड	127292.89	342408.42	306382.91	270863.73	211602.30
12	कर्नाटक	546271.17	550099.46	602807.73	622528.20	401561.06
13	केरल	352016.95	428677.68	355193.00	381842.70	252688.83
14	मध्य प्रदेश	471894.15	908672.51	847908.76	570213.49	427506.90
15	महाराष्ट्र	167066.42	160025.70	205645.71	254973.07	214650.85
16	मणिपुर	61074.66	130673.85	56310.74	108663.26	0.00
17	मेघालय	102443.59	128416.59	112166.07	111691.95	61651.21
18	मिजोरम	52507.57	59045.38	54891.55	53871.87	36727.94
19	नागालैंड	33044.70	48382.14	56945.51	89744.90	54606.97
20	ओडिशा	243278.38	521529.26	568015.17	463836.25	380137.43
21	पंजाब	74886.26	123913.55	125759.36	118213.27	87154.85
22	राजस्थान	726747.87	892076.25	986774.85	966299.14	614963.93
23	सिक्किम	8269.34	11016.55	11241.97	9255.39	8776.92

24	तमिलनाडु	555969.31	878881.54	963813.22	970662.48	1044246.53
25	तेलंगाना	222132.13	411121.10	410519.85	298868.14	304240.63
26	त्रिपुरा	73113.77	119498.53	98888.29	92203.45	78646.56
27	उत्तर प्रदेश	601701.90	1201410.42	850956.51	1062900.83	725310.80
28	उत्तराखंड	45580.30	88626.63	64203.24	79284.44	35343.74
29	पश्चिम बंगाल	850761.08	1145405.21	750780.15	*0.00	*0.00
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	583.78	485.89	763.16	960.42	0.00
31	लक्षद्वीप	23.82	0.00	30.05	0.00	0.00
32	पुदुचेरी	1691.87	2683.69	1307.28	2494.55	4910.42
33	लद्दाख	0.00	2248.57	5904.39	6893.31	3228.28
34	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	161.87	136.29
	दमन और दीव		0.00	0.00		

* केन्द्र सरकार के निदेशों का अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया है।